

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 2/2016-सीमा शुल्क (एसजी)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 8ख की उपधारा (1), सीमा शुल्क टैरिफ (अभिज्ञान एवं रक्षोपाय शुल्क का आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 12, 14 और 17 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 01/2016-सीमा शुल्क (एसजी), दिनांक 29 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 363 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2, के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“2. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाली विषयगत वस्तुओं पर, जिनको नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किया गया है, जब उनका आयात उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार सीआईएफ आधारित आयात मूल्य पर या उससे ऊपर, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार किया गया हो, कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा, यथा :-

क्र. सं.	टैरिफ मद	सीआईएफ आधारित आयात मूल्य	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7208 10 00	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
2	7208 25 10	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
3	7208 25 20	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
4	7208 25 30	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
5	7208 25 40	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
6	7208 25 90	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
7	7208 26 10	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
8	7208 26 20	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर

9	7208 26 30	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
10	7208 26 40	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
11	7208 26 90	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
12	7208 27 10	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
13	7208 27 20	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
14	7208 27 30	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
15	7208 27 40	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
16	7208 27 90	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
17	7208 36 10	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
18	7208 36 20	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
19	7208 36 30	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
20	7208 36 40	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
21	7208 36 90	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
22	7208 37 10	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
23	7208 37 20	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
24	7208 37 30	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
25	7208 37 40	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
26	7208 37 90	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
27	7208 38 10	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
28	7208 38 20	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
29	7208 38 30	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
30	7208 38 40	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
31	7208 38 90	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
32	7208 39 10	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
33	7208 39 20	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
34	7208 39 30	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
35	7208 39 40	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
36	7208 39 90	500	मी.टन	अमेरिकी डॉलर
37	7225 30 90	445	मी.टन	अमेरिकी डॉलर

**स्पष्टीकरण** – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “सीआईएफ आधारित आयात मूल्य” के अभिप्राय वह आकलन योग्य मूल्य है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत किया गया हो।

[फा.सं. 354/219/2015-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 1/2016-सीमा शुल्क (एसजी), दिनांक 29 मार्च, 2016 को सा.का.नि. 363 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।